न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 141/2021

अनवान : –

1. बंशीलाल पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. प्रेम कुमार पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायलान**
श्री महेश सिंह राठौड़ अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 20/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 58/52 की कुल 4.9320 हैक्ट भूमि जिसमें सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 22 का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

देवीलाल के फौत होने के बाद उसके जायज वारिसान सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 20 है तथा भादरराम व कलावती पत्नी भादरराम के फौत होने के बाद उनके जायज वारिसान प्रतिवादी न0 3 ता 9 एवं छोटूराम व महावीर हुए जो की फोत हो चुके है छोटूराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 है एवं महावीर लावल्द फौत हो चुका है। सायल के पिता की बुआ अनकोरी, कमला, किस्तुरी, सावित्री पुत्रीया चन्दुराम व मृतक बुआ परमेश्वरी के वारिसान कृष्ण कुमार, हरिराम, गुडडी, सरोज देवी पुत्रीयान परमेश्वरी ने चन्दुराम के फौत होने के बाद अपना जो भी हक हिस्सा था वह गैरसायल संख्या 3 ता 11 के पिता भादरराम के पक्ष में मुताबिक दस्बरदारी दिनांक 15.02.2013 को अपना हिस्सा तर्क कर दिया था इसलिए विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है दस्तबरदारी से कोई हक त[illegible] होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है। [illegible] वाले सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता [illegible] बकाया सह खातेदार बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। दस्तबरदारी दिनांक 15.02.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2013 अकेले गैरसायल स0 1 को कोई हक हकूक हासिल नही हुआ है बल्कि वादग्रस्त भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी न0 14 ता 22 एवं गैरसायल संख्या 1 व प्रतिवादीगण 2 ता 11 के पक्ष में उसका हिस्सा समायोजित हो गया है अकेले गैरसायल संख्या 1 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक हकूक हासिल नही हुए है। गैरसायल सं0 1 ने अपने हक से ज्यादा उक्त दस्तबरदारी के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा कर उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी दे रहा है। यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी का भारी नुकसान होगा अत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 7 जेएसएन के खाता संख्या 58/52 की कुल 4.9320 हैक्ट भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 13/48 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया की न्यायालय द्वारा प्रेमकुमार के वारिसान के पक्ष में अथवा किसी भी न्यायोचित आदेश पारित करने की सूरत में हमारे द्वारा बाराबन्दी संबंधि कोई भी सम्पुष्टिकारक तथ्य बतौर साक्ष्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जावेगा तथा प्रेमकुमार के वारिसान द्वारा जमाबंदी रिकार्ड पर होने की सूरत में बाराबन्दी संबंधि मांग न्यायालय से नही करेंगे।

अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की दिनांक 15.02.2023 को की गई दस्तबरदारी सही व नियमानुसार है। दस्तबरदारी करने वाले सभी बालिग, स्वस्थचित व स्वंतत्र रूप से गैरसायल स0 1 के पक्ष में दस्बरदारी की है। हक परित्याग कर्ता द्वारा विशेष कथन द्वारा किसी या किन्ही विशिष्ट व्यक्तियों को सम्पति हंस्तांतरित की जानी है जिससे सम्पति प्राप्त कर्ता को निर्विवादित रूप से हस्तांतरण कर्ता द्वारा हंस्तारित किये गये हिस्से के अनुरूप वो सभी काश्तकार व अन्य अधिकार उदभव हो जाते है। दस्तबरदारी उप पंजीयक नोहर द्वारा सत्यापित है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायल के पिता की बुआ अनकोरी, कमला, किस्तुरी, सावित्री पुत्रीया चन्दुराम व मृतक बुआ परमेश्वरी के वारिसान कृष्ण कुमार, हरिराम, गुडडी, सरोज देवी पुत्रीयान परमेश्वरी ने [illegible] के फौत होने के बाद अपना जो भी हक हिस्सा था वह गैरसायल संख्या 3 [illegible] 11 के पिता [illegible] के पक्ष में मुताबिक दस्बरदारी दिनांक 15.02.2013 को अपना हिस्सा [illegible] कर दिया था इसलिए विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है दस्तब[illegible]री से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है। दस्तरदारी से दस्तबदार होने वाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के सभी बकाया सह खातेदार बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। दस्तबरदारी दिनांक 15.02.2013 अकेले गैरसायल स0 1 को कोई हक हकूक हासिल नही हुआ है गैरसायल सं0 1 ने अपने हक से ज्यादा उक्त दस्तबरदारी के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा कर उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी दे रहा है। यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी का भारी नुकसान होगा अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रेमकुमार के नाम दर्ज है। प्रेमकुमार का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान 8 है जो की उक्त वाद भूमि को विरासतन अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावें तथा न्यायालय द्वारा प्रेमकुमार के वारिसान के पक्ष में अथवा किसी भी न्यायोचित आदेश पारित करने की सूरत में हमारे द्वारा बाराबन्दी संबंधि कोई भी सम्पुष्टिकारक तथ्य बतौर साक्ष्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जावेगा तथा प्रेमकुमार के वारिसान द्वारा जमाबंदी रिकार्ड पर होने की सूरत में बाराबन्दी संबंधि मांग न्यायालय से नही करेंगे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि प्रेमकुमार की बहनों के द्वारा प्रेमकुमार के अकेले के पक्ष में दस्तबरदारी की गई है जो की न्यायसंगत नही है क्योंकि दस्बरदारी सभी के बहिब होनी थी। गैरसायल सं0 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि वाद भूमि प्रेमकुमार के नाम दर्ज है तथा प्रेमकुमार का देहांत हो चुका है अतः प्रेमकुमार के वारिस विरासतन इंतकाल दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल वाद में तय होने है तथा प्रेमकुमार के वारिसान द्वारा के [illegible] के पक्ष में अथवा किसी भी न्यायोचित आदेश पारित करने की सूरत में हमारे द्वारा बाराबन्दी संबंधि कोई भी सम्पुष्टिकारक तथ्य बतौर साक्ष्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जावेगा तथा प्रेमकुमार के वारिसान द्वारा जमाबंदी रिकार्ड पर होने की सूरत में बाराबन्दी संबंधि मांग न्यायालय से नही करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसप्रकार प्रार्थना पत्र के मुल भूमि सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु समयक रूप से उभयपक्षों के पक्ष में प्रतीत होता है अर्थात दस्तबरदारी पर हकों का निर्धारण का बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में परन्तु इसका निर्धारण वाद मे सक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होना है तथा विरास्तन नामान्तकरण करवाने का प्रश्न सायलान के पक्ष में पाया जाता है इसप्रकार दोनो के हकों की सुरक्षा की जानी न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 31.07.2019 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है किन्तु उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा विरास्तन नामान्तकरण की कार्यवाही पर प्रभावी नही होगी पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested